राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या– 1982/2016/जोधपुर

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विभाग,
प्रतिकरापवंचन, कोटा ......अपीलार्थी

बनाम

मै0 एच.जी.इन्फ्रा. प्रा.लि.,
14 पंचवटी कॉलोनी, रातानाड़ा,
जोधपुर ......प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी राजस्व की ओर से
श्री दाऊलाल वैष्णव
अभिभाषक ....प्रत्यर्थी व्यवसायी की ओर से

निर्णय

दिनांक – 29.11.2018

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के अपील संख्या 16/आरवेट/जेयूए/2015–16 द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.05.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, प्रतिकरापवंचन, कोटा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.2015 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनयम,2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत कायम शास्ति राशि रू0 1,20,000/– को अपास्त किया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत–प्रतिकरापवंचन, कोटा द्वारा दिनांक 14.05.2015 को ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान वाहन संख्या RJ-32-G-1872 को चैक किया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा माल से संबंधित अजमेर वापी ट्रक ट्रांसपोर्ट कम्पनी, अजमेर की बिल्टी संख्या 1129 दिनांक 13.05.2015 जिसमें प्रेषक एच.जी. इन्फ्रा इंजीनियरिंग प्रा.लि. पनवाड झालावाड़ से एच.जी. इन्फ्रा इंजीनियरिंग प्रा.लि. नरवाना(हरियाणा) शटरिंग वजन श्री गोमती धर्मकांटा की तोल पर्ची 6399 दिनांक 14.05.2015 शुद्ध वजन 14,440/– कि.ग्रा. एवं एच.जी. इन्फ्रा इंजीनियरिंग प्रा.लि. ट्रांसफर चालान नं. HGIEPL/2014-15/May 0015 जिससे शटरिंग प्लेट की साईज व संख्या अंकित है, चालान में कम्पनी के पनवाड़ कोटा स्थित कार्यस्थल से नरवाना कार्यस्थल पर कन्सट्रक्शन कार्य के उपयोग के लिये भेजे जाने की विगत अंकित है, जिसमें माल बिक्री नहीं किये जाने की विगत उल्लेखित है आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये। जांच अधिकारी द्वारा परिवहनित माल शटरिंग प्लेट्स को अधिसूचित करयोग्य माल की श्रेणी में मानते हुए परिवहनित माल के साथ स्टॉक ट्रांसफर के लिये घोषणा पत्र वेट–49 साथ में नही पाये जाने के कारण धारा 76(2)(b)

लगातार................2

एवं नियम 54 का उल्लंघन होने से वाद धारा 76(6) का कायम कर उपायुक्त प्रशासन वा.क.कोटा के आदेशानुसार प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी 15.05.2015 को स्थानान्तरित किया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनित माल शटरिंग प्लेट्स जो कि आयरन एण्ड स्टील समान में शुमार होने से अधिसूचित होने से अधिसूचित माल की श्रेणी में होने एवं राज्य के बाहर स्टॉक ट्रांसफर किये जाने के कारण वांछित विधिक दस्तावेज घोषणा पत्र वेट–49 वक्त जांच के साथ नहीं होने से शास्ति आरोपण हेतु नोटिस दिनांक 25.05.2015 का जारी किया गया। प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा नोटिस की पालना में दिनांक 23.05.2015 को लिखित प्रतिवेदन एवं ऑनलाईन ई–जेनरेटेड घोषणा पत्र वेट–49 ए क्रमांक ई 49ए 140515573262 दिनांक 14.05.2015 समय 7.51 पी.एम. का प्रस्तुत किया। परिवहनित माल नरवाना, (हरियाणा) जहां उसे ठेका संविदा प्रदान किया गया है कार्यस्थल पर पुरानी प्रयुक्त शटरिंग ले जाये जाने का कथन उद्धरित कर बिक्री के लिये प्रेषित नहीं किया जाना जाहिर किया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र एवं कथन को अस्वीकार कर, परिवहनित माल की कीमतन रू0 4,00,000/– पर शास्ति रू 1,20,000/– आरोपित की गयी। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

3. अपीलार्थी–राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को विधिसम्मत नहीं मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं आरोपित शास्ति को विधिसम्मत ठहराते हुए, अपीली स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने कथन किया कि फर्म सिविल संविदा कार्य, रोड़ निर्माण, पुल निर्माण, फ्लाई ओवर आदि का कार्य राज्य एवं राज्य के बाहर करता है। व्यवहारी को नरवाना (हरियाणा) में संविदा कार्य आवंटित किया गया, जिसके लिये पनवाड जिला झालावाड़ कार्यस्थल से शटरिंग मैटेरियल जो कि उसका केपिटल गुड्स है संविदा कार्य करने के लिये वाहन संख्या आरजे–32–जी–1872 से स्वयं के कार्यस्थल पर भेजा जा रहा था। व्यवहारी शटरिंग प्लेट्स को स्थानान्तरण बिक्री के लिये नहीं होकर स्वयं के ठेका कार्य में मशीनरी व केपिटल गुड्स के रूप में उपयोग करने हेतु भेजा जा रहा था। वक्त जांच के स्टॉक ट्रांसफर किये जाने वाले माल के साथ वेट–49 संलग्न नहीं था परन्तु इस व्यवहार द्वारा बिक्री के लिये (For Sale) अन्य राज्य को माल प्रेषित नहीं किया गया था बल्कि स्वयं के ठेका कार्य में केपिटल गुड्स के तौर पर भेजा जा रहा था जिसमें किसी प्रकार की करापवंचना की मंशा नहीं थी है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में घोषणा पत्र वेट–49 ए प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी बिना किसी जांच के प्रस्तुत प्रत्युत्तर एवं घोषणा पत्र को अस्वीकार कर शास्ति आरोपित की, जो अविधिक है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित राजस्थान राज्य बनाम डी.पी.मेटल (2001) 124 एस.टी.सी.पेज 611, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित केरा टेक इण्डिया बनाम स.वा.क.अ.,भिवाडी (2013)35 टेक्स अपडेट 49, मै0 विडियोकोन इण्ड0 लि0 बनाम स.वा.क.अ. निर्णय दिनांक 28.08.2014, मै0 श्याम ट्रेडिंग कं0 बनाम स.वा.क.अ. उड़नदस्ता आबूरोड निर्णय दिनांक 13.12.2011

लगातार................3

आदि न्यायिक दृष्टान्तों का पुरजोर समर्थन करते हुए, अपीलार्थी–राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तथा उद्धरित न्यायिक निर्णयों का ससम्मान अध्ययन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वक्त जांच वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा माल से संबंधित अजमेर वापी ट्रक ट्रांसपोर्ट कम्पनी, अजमेर की बिल्टी संख्या 1129 दिनांक 13.05.2015 जिसमें प्रेषक एच.जी. इन्फ्रा इंजीनियरिंग प्रा.लि. पनवाड झालावाड़ से एच. जी. इन्फ्रा इंजीनियरिंग प्रा.लि. नरवाना(हरियाणा) शटरिंग वजन श्री गोमती धर्मकांटा की तोल पर्ची 6399 दिनांक 14.05.2015 शुद्ध वजन 14,440/– कि.ग्रा. एवं एच.जी. इन्फ्रा इंजीनियरिंग प्रा.लि. ट्रांसफर चालान नं. HGIEPL/2014-15/May 0015 जिससे शटरिंग प्लेट की साईज व संख्या अंकित है, चालान में कम्पनी के पनवाड़ कोटा स्थित कार्यस्थल से नरवाना कार्यस्थल पर कन्सट्रक्शन कार्य के उपयोग के लिये भेजे जाने की विगत अंकित है, जिसमें माल बिक्री नहीं किये जाने की विगत उल्लेखित है आदि दस्तावेज जाच अधिकारी को प्रस्तुत किये थे। यह भी स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी फर्म सिविल संविदा कार्य, रोड़ निर्माण, पुल निर्माण, फलाई ओवर आदि का कार्य राज्य एवं राज्य के बाहर करती है। व्यवहारी को नरवाना (हरियाणा) में संविदा कार्य आवंटित किया गया, जिसके लिये पनवाड जिला झालावाड़ कार्यस्थल से शटरिंग मैटेरियल जो कि उसका केपिटल गुड्स है संविदा कार्य करने के लिये वाहन संख्या आरजे–32–जी–1872 से स्वयं के कार्यस्थल पर भेजा जा रहा था। व्यवहारी शटरिंग प्लेट्स को स्थानान्तरण बिक्री के लिये नहीं होकर स्वयं के ठेका कार्य में मशीनरी व केपिटल गुड्स के रूप में उपयोग करने हेतु भेजा जा रहा था। वक्त जांच के स्टॉक ट्रांसफर किये जाने वाले माल के साथ वेट–49 संलग्न नहीं था परन्तु इस संव्यवहार द्वारा बिक्री के लिये (For Sale) अन्य राज्य को माल प्रेषित नहीं किया गया था बल्कि स्वयं के ठेका कार्य में केपिटल गुड्स के तौर पर भेजा जा रहा था जिसमें किसी प्रकार की करापवंचना की मंशा नहीं थी है। फिर भी जारी नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी द्वारा ई–जेनरेटेडेट वेट–49 ए क्रमांक ई 49ए–140515573262 मय उन कारणों एवं परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए प्रतिउत्तर सहित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसी कोई जांच किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध नही है जिससे यह प्रमाणिति हो कि प्रस्तुत दस्तावेज मिथ्या है एवं स्टॉक ट्रांसफर प्रेषित माल पुरानी शटरिंग प्लेट्स का उपयोग स्वयं के नरवाना(हरियाणा) के संविदाकार्य में न होकर अन्य तरीके से बिक्री की गयी या बिक्री के लिये भेजा गया हो। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलीय अधिकारी ने विस्तृत विवेचन करने के पश्चात ही शास्ति को अपास्त किया है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से अपील अस्वीकार होने योग्य है।

6. फलतः अपीलार्थी–राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य